



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office,
Chandigarh



फाइल नम्बर: 9-HRB073/2020-CHA

दिनांक: 15.09.2020

सेवा में,

नोडल अधिकारी (FC) एवं वन संरक्षक
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला हरियाणा

विषय: Diversion of 0.60831 ha of forest land in favour of SDO, Const. S/Division, HVPNL, Kaithal for construction of 132 KV D/C Neemwala Command Point to 132 S/Stn, Nautch & Siwan line crossing various strips of protected forest land, under Forest Division and district Kaithal, Haryana. (online proposal no. FP/HR/Trans/41475/2020)

सन्दर्भ: 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 9371/7342 दिनांक 02.09.2020.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए **0.60831 ha** वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे:

- State Govt to clarify area statement proposed for diversion. Area proposed for diversion is 0.60831 ha as mentioned in all the documents uploaded in part II online by DFO; whereas under A-1 (viii) in part-I and area calculation is mentioned as 0.2338 ha. Which of the two area is correct?
- Trees enumeration list be correctly uploaded under column 4(ii) of part-II online.

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

हस्ता/-

(के जेड भुटिया)

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

- Divisional Forest Officer, Forest Division and District Kaithal, Haryana
- The SDO, Const. S/Division, HVPNL, Kaithal